

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2021—आषाढ़ 25, शक 1943

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. एफ-3-66-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संशोधित जबलपुर निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं:—

अनुसूची

जबलपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

1. उत्तर पूर्व में—उमरिया चौबे, बिजौरी, बम्हनोंदा फूटाताल, लमती, केवलारी, कन्द्राखेडा, इमलिया, पिपरिया बिलपुरा, मोहनिया, छावनी सीमा छोड़कर-घाना, पिपरिया, सोनपुर, उमरिया, ककरतला ग्रामों की सीमा तक.
2. पूर्व दक्षिण में—ककरतला, गंधेरी, जैतपुरी नीमखेडा, कोसमघाट, पिपरिया कला, खम्हरिया, हिनौतिया, पंडिरई ग्रामों की सीमा तक.
3. दक्षिण पश्चिम में—पंडिरई, बारहा, सिलुवा, छतरपुर, जमतारा, भटौली, जिलहरी, ग्वारीघाट, ललपुर, तिलवारापाट, रमनगरा, सगड़ा, तेवर, छीतापार, कूडन, आमाहिनीता ग्रामों की सीमा तक.
4. पश्चिम उत्तर में—आमाहिनीता, खम्हरिया, मनगुवां, आरक्षा, बेनीखेडा, टिमरी, मंगेला, पौडी, सरखेडी, गुड़गवां जुनमानी, बरौदा, उमरिया चौबे ग्रामों की सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण), दमोह, मध्यप्रदेश.

दमोह, दिनांक 09 जुलाई 2021

क्रमांक/जिशाविअ/सीमा वृद्धि/2021/1289.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची में यथा-उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र दमोह की सीमाओं के भीतर सम्मिलित किये जाने हेतु निम्नलिखित आशय की अधिसूचना जारी की जाती है:—

## अनुसूची—एक

## दमोह की नगरपालिका परिसीमाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

क्र.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्र का ब्यौरा	नगरीय मुख्यालय से ग्राम की दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	दमोह	इमलाई	इमलाई ग्राम	2413	571.00	सम्पूर्ण	3 किमी
2	दमोह	आमचौपरा	चौपरा खुर्द	2621	235.38	सम्पूर्ण	3 किमी
			चौपरा रैयतवारी	1860	121.64	सम्पूर्ण	3 किमी
3	दमोह	हिरदेपुर	हिरदेपुर ग्राम	3740	232.17	सम्पूर्ण	1 किमी
4	दमोह	मारूताल	मारूताल	793	606.86	सम्पूर्ण	5 किमी
			कोटातला रैयतवारी	391	206.03	सम्पूर्ण	5 किमी
5	दमोह	पिपरिया	पिपरिया दिगंबर	666	287.24	सम्पूर्ण	3 किमी
		दिगम्बर	इटवा खुर्द	144	61.38	सम्पूर्ण	3 किमी
			दुपारिया	160	134.45	सम्पूर्ण	3 किमी
			लाडनबाग	1146	394.42	सम्पूर्ण	3 किमी
6	दमोह	मराहार	राजनगर खुर्द	70	203.22	सम्पूर्ण	2 किमी
7	दमोह	समन्ना	समन्ना माल	1052	541.27	सम्पूर्ण	3 किमी
			लिधोरा		278.70	सम्पूर्ण	3 किमी
			समन्ना रैयतवारी	167	141.9	सम्पूर्ण	3 किमी
8	दमोह	सिंगपुर	सिंगपुर ग्राम	1686	551.24	सम्पूर्ण	4 किमी
9	दमोह	कुअरपुर	पिपरिया नायक	313	108.38	सम्पूर्ण	4 किमी

## अनुसूची—दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात्, दमोह नगरपालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होगी:—

उत्तर दिशा—उत्तर दिशा में ग्राम महुआखेडा.

पूर्व दिशा—पूर्व दिशा में ग्राम खमखेरा.

दक्षिण दिशा—दक्षिण दिशा में ग्राम अथाई.

पश्चिम दिशा—पश्चिम दिशा में ग्राम कोरासा.

उपरोक्तानुसार सारणी के स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शित ग्रामों को नगरपालिका परिषद् दमोह में सम्मिलित करने के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत दमोह एवं नगरपालिका परिषद् दमोह द्वारा सहमति प्रदान की गई है. उपरोक्त ग्रामों को नगरपालिका परिषद् दमोह में सम्मिलित किये जाने के संबंध में जनमानस से दावे एवं आपत्तियां आहूत की जाती हैं.

यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो कार्यालयीन दिवस एवं समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को—राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं. समयावधि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त दावों आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर.

Damoh, dated 9th July 2021

Letter No./D.U.D.A/Seema Vradhi/2021/1289.—Madhya Pradesh In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5-A of the Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961), the following areas shall be included within the limits of the municipality area Damoh as mentined in the Schedule given below, A notification of intent is issued:—

SCHEDULE—I

Village Area proposed to be included in the municipal Area of Damoh

No.	Tehsil	Name of Gram Panchayat	Name of Village	to be included Survey No.	Area in Heactares	Area Details	Distance of Village from Urban Headquarters
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Damoh	Imlai	Imlai	2413	571.00	Total	3 KM
2	Damoh	Aam Choupra	Choupra Khurd	2621	235.38	Total	3 KM
			Choupra Raitwari	1860	121.64	Total	3 KM
3	Damoh	Hirdepur	Hirdepur	3740	232.17	Total	1 KM
4	Damoh	Maarutal	Maarutal	793	606.86	Total	5 KM
			Kota tala Raitwari	391	206.03	Total	5 KM
5	Damoh	Pipariya Digamber	Pipariya Digamber	666	287.24	Total	3 KM
			Itva Khurd	144	61.38	Total	3 KM
			Dupariya	160	134.45	Total	3 KM
			Ladan Bag	1146	394.42	Total	3 KM
6	Damoh	Marahar	Rajnagar Khurd	70	203.22	Total	2 KM
7	Damoh	Samnna	Samnna Mal	1052	541.27	Total	3 KM
			Lidhora		278.70	Total	3 KM
			Samnna Raitwari	167	141.9	Total	3 KM
8	Damoh	Singhpur	Singhpur	1686	551.24	Total	4 KM
9	Damoh	Kuvarpur	Pipriya Nayak	313	108.38	Total	4 KM

**SCHEDULE—II**

After including the area shown in Schedule—I, the revised limits of Damoh Municipality will be as follows:—

**North Direction**—Village Mahuakheda in the north direction.

**East Direction**—Village Khamkhera in the east direction.

**South Direction**—Village athai in the south direction.

**West Direction**—Village Korasa in the west direction.

According to above, consent has been given by the concerned Gram Panchayat, Janpad Panchayat Damoh and Nagar Palika Parishad Damoh regarding the inclusion of the villages shown in column number 3 of the table in the Nagar Palika Parishad Damoh. Claims and objections are invited from the public regarding the inclusion of the above villages in the Municipal Council Damoh.

If any person/organization has to submit any claim or objection in this regard, it can be submitted to the undersigned on the Official day and time-within 30 days from the date of publication in the Official Gazette (Rajpatra). No consideration will be given to the claims/objections received after the lapse of time.

S. KRISHNA CHAITANYA, Collector.